भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2141
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगारी के आंकड़े

2141. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने के संबंध में वर्तमान पद्धति क्या है;

(ख) क्या उक्त पद्धति बेरोजगार व्यक्तियों के संबध में सही जानकारी प्रदान कर रही है;

(ग) क्या ऐसी कोई पद्धति मौजूद है, जिसके अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा सकता है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें और बार-बार फॉर्म भरने की आवश्यकता न रहे तथा उन्हें अत्यधिक आवेदन शुल्क के भुगतान से बचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। यह एक वृहद गृहस्थ सर्वेक्षण है जो भारत में श्रम बल सांख्यिकीय उपलब्ध करा रहा है। पीएलएफएस सर्वेक्षणों की रिपोर्टें सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट, https://www.mospi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग एवं घ): सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल ने एक ऑनलाइन रोजगार मेला मॉड्यूल भी प्रारंभ किया है, जहां रोजगार पोस्टिंग से लेकर अभ्यर्थी के चयन तक का पूरा चक्र पोर्टल पर ही पूरा किया जा सकता है। एनसीएस पर सभी सेवाएं लागत-मुक्त हैं।

*****